

## किशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ एवं समाधान

**1. पृष्ठभूमि**

- अधिकार आंशीक स्तर पर उक्तमान बाल अधिविद्यम कानून के लिये केंद्र सरकार द्वारा 1986 में उक्त किशोर न्याय अधिविद्यम पासित किया गया।

**2. मुख्य प्रावधान**

- 16 वर्ष से कम आयु के लड़के 18 वर्ष से कम आयु की लड़की ज्ञान किये जाने का नियम लिया गया।
- अपराधियों को बाल अपराध की श्रेणी में स्थान दिया।

**3. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभियान**

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 अक्टूबर, 1989 को बाल अधिकार अधिकार अभियान का आयोग घोषित किये हैं।
- लोकान्तर इंटर वार्षिक से 2000 में किशोर न्याय कानून, 1986 में लंबोयोग का लड़कों को लड़कों में आयु सीमा को बढ़ावार 16 से 18 वर्ष कर दिया जाया जिसके अधिकार अभियान 18 साल से कम के किशोरों को जागालिय ही माना जाता है।

**4. संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015**

- जन्मन्य अपराध करने की स्थिति में बाल अपराधी की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया जाया है।
- पहली बार अपराधों की श्रेणी निर्धारित की जई और जन्मन्य अपराध को भी परिवर्तित किया जाया, जिसे अपराध में अंतर्निहित लंबे सीमावली की धराओं के तहत 7 वर्ष वा उससे अधिक की साझा शिक्षणी है, उसे जन्मन्य अपराध की श्रेणी में स्थान दिया है, जैसे - हत्या, बहालकार आदि।
- इसमें जैर-कानूनी तौर पर बच्चा लीजे गए, ग्रामकानाडी समूहों ज्ञान बच्चों का इस्तेमाल करने और विकासांग बच्चों की विस्तृत अपराधों जैसे जाने वाली शाखियों के कानून दिया जाया।

### किशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ उत्तराधान

**5. न्याय कानून वित्तीय तर्फ़ संगत?**

- पहला सालाल, ज्ञान प्रसारण कानून बाल अधिकारों पर बने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार का उल्लंघन है। सुरक्षा प्रश्न अधिकार का अनुच्छेद (1) 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को बाल अधिकार की सुरक्षा प्रश्न करता है।
- दूसरा सालाल, ज्ञान प्रसारण कानून बाल अधिकारों पर बना होता? संघीय सुरक्षा के मानदंडों में लड़कों को 16 साल की आयु में सज्जा सज्जा का ग्रावल दिया जाया है। जबकि वास्तविकता वह है कि वर्तमान में लड़के-लड़कियों के अपराध का अनुपात 14 और 21 का उल्लंघन होता है। ऐसीज विचारणीय तथ्य यह है कि ज्ञान प्रसारण के मानदंड अधिकार के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होता है। बल्कि उन पर भी सुधारनुवात विचारण लगातु रहता है।

**6. समस्याएँ**

- किशोरों के मानसिक अटकावार के लिये हमारा समाज और विद्यालय सामाजिक मालौल बराबर के विप्रदार हैं।
- संयुक्त राष्ट्राधार के विस्तृत ज्ञान के प्रयोग से दूर हो जाते हैं।
- बदलते बाल अपराध का केवल साजीवितक और दंडात्मक संवादाल जर्नी हो सकता, बल्कि इसके लिये मानवोंवालिक और शैक्षिक सामाजिक ज्ञान कालांवाल हैं।
- मानवोंवालिक सहायता से अधिकारकों को वह जेञ्जना होता कि बच्चे के अपराधी आचरण की समाप्ति होती है। और वह कानून उपाय किया जा सकते हैं।

**7. समाधान**

- वैतिक शिक्षा कठोर दंड से बहिर्भूत प्रेग से ही विस्तारीज जा सकती है। और इसकी शुल्कात प्रधान पाठशाला वाली दर और आलावत की सामाजिक सी संस्कृत है।
- बदलते बाल अपराध का केवल साजीवितक और दंडात्मक संवादाल जर्नी हो सकता, बल्कि इसके लिये मानवोंवालिक और शैक्षिक सामाजिक ज्ञान कालांवाल हैं।
- मानवोंवालिक सहायता से अधिकारकों को वह जेञ्जना होता कि बच्चे के अपराधी आचरण की समाप्ति होती है। और वह कानून उपाय किया जा सकते हैं।